भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क – जयपुर
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR
मुख्यालयः नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर– 302005 (राज.)
HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359
फैक्स नं. : 0141- 2385222
ई–मेल : admncejpr1@gmail.com

प्रशासन शाखा

Ph. No. : 0141- 2385359
Fax No. : 0141- 2385222
E-mail : admncejpr1@gmail.com

F. No. I-22(10)Admn./JPR/2018/ 846

Dated: 27.04.2020

कार्यालय आदेश
दिनांक 27.04.2020

कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य दिवस को 33 प्रतिशत अधिकारीयों को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 16.04.2020 की अनुपालना में कार्यालय आना जरूरी है लेकिन रोस्टर में दर्शाये अनुसार स्टाफ कार्यालय मे उपस्थित नहीं हो रहें है एवं यह भी देखा गया है कि अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय देर से आते है ओर जल्दी कार्यालय से चले जाते हैं, जिसकी वजह से कार्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह निर्देश दिए जाते है कि सभी अधिकारी दिनांक 16.04.2020 को जारी कार्यालय आदेश के रोस्टर के अनुसार कार्यालय में समय से आना एवं समय से जाना सुनिश्चित करें ओर अगर कोई अधिकारी अपने निर्धारित कार्यदिवस को कार्यालय में नहीं आता है, कार्यालय में समय पर नहीं आता तथा कार्यालय से जल्दी चला जाता है तो इसको गम्भीरता से लिया जाएगा। अतः यह निर्देश दिए जाते है कि आने व जाने में कार्यालय समय का ध्यान रखें।

2. यह भी निर्देश दिए जाते है कि शाखा से संबंधित डाक को जो भी अधिकारी शाखा में उपस्थित होगा, वह डाक को प्राप्त करेगा ओर उस पर उचित कार्यवाही करते हुए उसे उच्च अधिकारीयों के समक्ष पुट अप करेगा। प्रशासन, स्थापना, वेतन, लेखा एवं पेशन शाखा के अधिकारी / कर्मचारी इन शाखाओं के लिए कॉमन रहेगें अर्थात प्रशासन एवं स्थापना शाखा के कर्मचारी लेखा एवं वेतन शाखा का कार्य भी देखेंगें ओर इसी तरह वेतन एवं लेखा शाखा के कर्मचारी भी प्रशासन एवं स्थापना शाखा का कार्य करेगे। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि शाखाओं का काम सुचारू रूप से चल सकें।

27/4/2020

(मंजूर अली अंसारी)
अपर आयुक्त (का. एवं सतर्कता)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 सहायक आयुक्त(तकनीकी / पुनरावलोकन / टी.आर.सी. / विधी / सेरा आडिट / कर अपवंचना / राजभाषा / न्याय–निर्णय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर
2 मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर
3 प्रशासनिक अधिकारी(मुख्यालय / प्रशासन), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर
4 शाखा प्रभारी.. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर
5 निजी प्रति
6 अधीक्षक कम्प्युटर को website पर upload करने के लिए

27/4/2020

(मंजूर अली अंसारी)
अपर आयुक्त (का. एवं सतर्कता)